

भारतीय न्यायिक

दस
रुपये

₹.10

TEN
RUPEES


आरडे

INDIA

INDIA NON JUDICI



NOTARIAL




NOTARIAL

शपथम्

तम्हा : श्रीमान् रिटर्निंग ऑफिसर , हरिद्वार ।

भाग -१



मै आनन्द कुमार वर्मा पुनर श्री भज लोह आयु ५२ वर्ष , निवासी

स=७ शारदानगर ज्वालामुर थाना को० ज्वालामुर जनपद हरिद्वार का
निवासी हूँ और उपरोक्त निवास से अध्यर्थी हूँ, तत्कालीन से प्रतिक्षा करता
हूँ तथा शपथम् पर निम्नलिखित कथा करता हूँ :-

१:- मै आनन्द कुमार वर्मा ४ हिन्दूतान का नितकारी दल ४ छारा छा विधा
गया अध्यर्थी हूँ ।

२:- मेरा नाम हरिद्वार ४ उत्तराखण्ड ४ में भाग संख्या १३४ के क्रम संख्या-
१०१ पर पुणिष्ठ है ।

३:- मेरा संपर्क टेलीफोन नं०/ सौ०नं० ९८९७११६६५ ४ है और मेरा ई-मेल
आई डी - डीआरएकेअन्डर स्कारै एट दा रेडिफोन डॉटकॉम है ।

४:- स्थाई लेख संख्या क ४ पैन ४ के बारे और आयकर विवरणों फाइल करने की
प्राप्तिका

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	डी.एस.एफ.ए.के. ८५२२ मार	२०१३ - १४	१९५१०० -
2.	पति या पत्नी	लाइनरी	लाइनरी	लाइनरी
3.	आश्रित - 1	लाइनरी	लाइनरी	लाइनरी
4.	आश्रित - 2	लाइनरी	लाइनरी	लाइनरी
5	आश्रित - 3.....	लाइनरी	लाइनरी	लाइनरी

(5) यदि ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। लाइनरी

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यारे	लाइनरी
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लाइनरी
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लाइनरी
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लाइनरी
(ङ)	तारीख (तारीखों) जब आरोप विरचित किए गए थे	लाइनरी



(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लाइन
-----	--	------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है :-

[पूर्वकत मद (i) मेरे वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लाइन
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लाइन
(ग)	पूर्वकत आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लाइन

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दण्डादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है। यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लाइन
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लाइन
(ग)	अधिरोपित दंड	लाइन
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	लाइन



7. मैं मेरे, मेरे पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी :-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
2. जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं0, रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
3. सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र.सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	लालूल्लालू प्रियांका जमा	लालून्नी लालून्नी	लालून्नी लालून्नी	लालून्नी लालून्नी	लालून्नी लालून्नी
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा, जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	रुप हंडर रुप सनी रुप हंडर रुप सनी	लालून्नी लालून्नी	लालून्नी लालून्नी	लालून्नी लालून्नी	लालून्नी लालून्नी
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लालू न्नी	लालू न्नी	लालून्नी लालून्नी	लालून्नी लालून्नी	लालून्नी लालून्नी
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लालू न्नी	लालू न्नी	लालून्नी लालून्नी	लालून्नी लालून्नी	लालून्नी लालून्नी



(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटररायन/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	आल्टर्नेट एल.एस्ट्र.	भाइल २००७	प्र० रु० ०४ ५०२५	वीनलखण ०१०३८६८८	४/५/२००९
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	आधा - - - - - -	१२ होला सोना	लागू नहीं	रु०- ३ लाख ६० हजार	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

इन स्थावर आस्तियों के ब्यौरे:-

- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।
- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र.सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-१	आश्रित-२	आश्रित-३
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा के क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर-कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	900 फूट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	28/3/15	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की तारीख में)	दो लाख प्रौद्योगिकी राशी हजार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	प्रौद्योगिकी लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की तारीख में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लाघू नहीं				
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या लाघू नहीं) नहीं)	लाघू नहीं				
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लाघू नहीं				
	क्रय के समय संपत्ति की लागत (क्रय की दशा में)	लाघू नहीं				
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लाघू नहीं				
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लाघू नहीं				
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लाघू नहीं				
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लाघू नहीं				

(8) मेरे लिए वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र. सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं	लाघू नहीं

(ii)	सरकारी शोध्य :	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	आयकर शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	धनकर शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	सेवाकर शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	जनरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	विक्रिय कर शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
	कोई अन्य शोध्य	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
(iii)	सभी सरकारी शोध्य का कुल योग	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू है	लागू होती है	लागू होता है	लागू होते हैं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

क. स्वयं ५१-८८
ख. पति या पत्नी २५६०/०

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:

बी. राम. राम. राम. बी. बी. राम.

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

बी. राम. राम. - पूर्वविद्यालय विश्वविद्यालय लौकिक विषय १९८७

राम. बी. राम. राम. पी. लोडीजल कालेज लौकिक (राजस्थान) १९९५

भाग-ख

(II) भाग क के (1) से (10) में तक दिये गये व्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमा० ३१०२६४२९०	
2.	डाक का पूरा पता	रज. भै इमारदानगर लॉबालापुर	
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	०५ दीर्घार, उत्तराखण्ड	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	हिन्दूस्तान नेतृत्वकारी दल	
5.	(I) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	लाइन	
	(II) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लाइन	
6.	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिये कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ८ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय]	लाइन	
7.	...का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	कुल दर्शित आय
(क) अभ्यर्थी	इमर्सन रूपी के १५२२ आर	२०१३ - १४	1,९५,१००-
(ख) पति या पत्नी	लाइन	लाइन	लाइन
8.	आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे (रुपये में)	लाइन	लाइन

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख.	स्थावर आस्तियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
I.	स्वर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	दो बार प्रिया सीमाएँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.	दायित्व					
	(I) सरकारी शोध्य (कुल) (II) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(I) सरकारी शोध्य (कुल) (II) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता					
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरे दें।)	की. डा. सू. प्रबन्धन विविधालय जीन्युर रा. फी. मैट्रिला सालेट विभाग राष्ट्रसभा	1989	लागू नहीं	लागू नहीं	
				1995	लागू नहीं	लागू नहीं



सत्यापन

मैं ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 16/01/16 को सत्यापित किया गया।

ATTESTED

VIRENDRA MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
Reg. No. 41(05)/05

अभिसाक्षी

टिप्पणी:

- शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।
- शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिये कोई जानकारी है तो यथारिति 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

नोट: 5. अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की संख्या 121-रिसरजेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिये गये दिनांक 13.9.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाउखिल किये गये शपथ पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं, तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिये एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में

प्रस्तुत के लिये कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शायी जायेगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असफल रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट: 6 शपथ पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

'मेरा टेलीफोन नं. 9897116651 है/हैं।
मेरा ई-मेल आई.डी. (यदि कोई हो) dr. ak.varma @rediffmail.com
और मेरा सोशल एकाउन्ट (यदि कोई हो) है।'